

प्रेषक,

सदाकान्त,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 17 नवम्बर, 2017

विषय:- उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा RCS हवाई अड्डों के लिए रोड कनेक्टिविटी के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 के पैरा 8.4.5 एवं पैरा 8.6(8) में निम्न प्राविधान किया गया है:-

**8.4.5**

"Road connectivity of all RCS airports will be ensured and maintained by PWD department on priority.

**8.6(8)**

"Road connectivity of all RCS airports will be ensured and maintained by PWD Department of GO UP from its own resources.

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 के अन्तर्गत आने वाले हवाई अड्डों को आस-पास के शहरों से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों का विकास व अनुरक्षण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने संसाधनों से प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया समस्त मुख्य अभियन्ताओं के माध्यम से उपर्युक्तानुसार कार्ययोजना बनाकर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रश्नगत मार्गों का विकास/अनुरक्षण सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही की जाय।

3- कृपया इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

भवदीय,

( सदाकान्त )

अपर मुख्य सचिव


क्रमशः....

संख्या उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ०प्र०शासन को उनके पत्र संख्या-1306/छप्पन-2017-52/17, दिनांक 31.08.2017 के संदर्भ में।
- 2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- प्रमुख अभियन्ता, (ग्रामीण सड़क)/प्रमुख अभियन्ता (परि०/नियो०), लो०नि०वि०, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (मु०-1)/मु०-2/(मध्य क्षेत्र)/(रा०मा०), लो०नि०वि० लखनऊ।
- 6- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०।
- 7- समस्त प्रभारी अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



( संजय कुमार उपाध्याय )  
विशेष सचिव।